

लापरवाही के चलते बुजुर्ग के शव के अंग को जानवरों ने खाया, NHRC ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया दो लाख रुपये का जुर्माना

<https://news4nation.com/news/animals-ate-part-of-the-dead-body-due-to-negligence-nhrc-imposed-a-fine-of-rs-2-lakh-on-the-health-department-565279>

कैंसर पीड़ित बुजुर्ग बंदी के शव के अंग जानवर खाने के मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा गया है. मामले को लेकर मनवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मानते हुए स्वास्थ्य विभाग पर दो लाख का हर्जाना लगाया है. यह हर्जाने की राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी. वहीं मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तीन सदस्यीय टीम बनाकर रिपोर्ट बनायी है. यह मामला उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर का बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि संतकबीरनगर में विचाराधीन बंदी 70 वर्षीय बंदी मोहम्मद वसील को 4 नवंबर 2018 को गंभीर हालत में जेल से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था. कैंसर का मरीज होने के कारण उसे खून की उल्टियां हो रही थीं. जिस समय कैदी को जिला अस्पताल लाया गया, उसकी मौत हो चुकी थी. इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि विभाग की लापरवाही के कारण बुजुर्ग का शव दो दिन तक मोर्चरी में पड़ा रहा. शव के अंगों को किसी जानवर ने खा लिया. बाएं कान और दायाँ एड़ी के पास का हिस्सा गायब होने निशान मौजूद था. वहीं दाएं नितंब पर सफेद टेप लगाकर घाव छिपाया गया था.

मृतक के परिजनों ने एनएचआरसी में की शिकायत

वहीं इसको लेकर मृतक के परिजनों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की. इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले की जांच की. जांच में कई तथ्य सही पाए गए. आयोग का मानना है कि मामला दुखद और चौकाने वाला है. मृतक के शव को गरिमा व उचित सम्मान नहीं दिया गया. इस मामले में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है. इस मामले में आयोग ने स्वास्थ्य विभाग पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है तो शासन ने विभाग से रिपोर्ट तलब की है.

जेल में बंदियों के लिए उचित इलाज की सुविधा नहीं

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में यह भी पाया गया कि जेल में बंदियों को उचित उपचार की सुविधा नहीं मिल रही है. इसका मुख्य कारण जेल में नियमित तौर पर चिकित्साधिकारियों की कमी है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला जेल में अस्पताल का संचालन किया जाता है तथा चिकित्सक व अन्य स्टाफ की तैनाती की जाती है. बंदी के बीमार होने पर सबसे पहले जेल के अस्पताल में इलाज कराया जाता है. अगर हालत गंभीर होती है तो बंदी को जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है.

मानवाधिकार दिवस मनाने पर चर्चा

जासं, मीरजापुर : महुवरिया में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण की बैठक रविवार को हुई। इसमें आगामी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाने की तैयारियों पर चर्चा की। सुनील कुमार पांडेय, सुजीत कुमार वर्मा, रत्नेश विश्वकर्मा, संजय कुमार गुप्ता, आजाद आलम आदि रहे।

मॉर्चरी में बंदी के शव को कुतर गए चूहे

बस्ती। मॉर्चरी में विचाराधीन बंदी मो. वसीम (70) के शव को जानवर द्वारा खाने और पैर में घाव छिपाने की घटना की मानवाधिकार आयोग से शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। तीन सदस्यीय टीम की जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एनिमल बाइट की बात तो लिखी गई है, मगर जो तथ्य जांच में मिले हैं, उसमें चूहे अथवा छछूंदर के कुतरने से कान व चेहरे पर हल्के घाव होने की आशंका व्यक्त की गई है।

संतकबीरनगर निवासी बंदी मो. वसीम कैंसर से पीड़ित थे। चार नवंबर को उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि दो दिनों तक शव को मॉर्चरी में रखा गया था। उन्होंने शव की एड़ी के पास व कान हिस्से को जानवर द्वारा खाने का आरोप लगाया था। इसे लेकर मानवाधिकार आयोग ने जब जुर्माना लगाया तो स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए। एसीएमओ डॉ. फखरेयार हुसैन ने बताया कि चूंकि मॉर्चरी का फ्रिज खराब है और फाटक क्षतिग्रस्त हो गया है, ऐसे में शव को जानवर ने नहीं, बल्कि चूहे के कुतरने की आशंका है। संवाद

रंजिश में बाजपुर की महिला के स्वजनों पर आपत्तिजनक पोस्ट

<https://www.jagran.com/uttarakhand/udhamsingh-nagar-objectionable-post-on-relatives-of-bajpur-woman-in-enmity-22267547.html>

पुरानी रंजिश में इंटरनेट मीडिया के जरिये आपत्तिजनक पोस्ट कर परेशान करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने साइबर क्राइम रुद्रपुर में शिकायत की है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

पुलिस चौकी बन्नाखेड़ा के अंतर्गत एक गांव में निवासरत महिला ने प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना रुद्रपुर को संबोधित तहरीर में कहा है कि उसकी देवरानी ने कुछ लोगों पर लूटपाट व मारपीट से संबंधित एक मुकदमा थाना बेतालघाट नैनीताल में करवाया है। जिसमें अभी जांच प्रचलित है, इस मामले में वह अपनी देवरानी की पैरवी कर रही है। जिसके चलते आरोपित उससे भी रंजिश रखते हैं। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते एक आरोपित ने 22 नवंबर को पीड़िता के पति, देवर, जीजा आदि के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखकर फेसबुक पर पोस्ट किया है जिसमें अन्य आरोपितों ने इस पोस्ट को लाइक करते हुए कमेंट्स किए हैं। इंटरनेट मीडिया पर हुई इस पोस्ट को बहुत से लोगों द्वारा देखा गया है जिस कारण उसके पति का सामाजिक रूप से तिरस्कार हो रहा है। आरोपित इस पोस्ट के जरिए विदेश में रह रहीं उसकी दो बेटियों के बारे में भी तमाम तरह की आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। जिससे पति व परिवार के अन्य सदस्य मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। तहरीर में आरोपितों पर चार करोड़ रुपयों की मांग करने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़िता के अनुसार मामले की जानकारी होने पर विदेश में रह रही दोनों बेटियों ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डीजीपी उत्तराखंड, डीआईजी कुमाऊं व पीएमओ तथा भारतीय उच्च आयोग आदि में भी कर दी है। वहीं पुलिस ने साइबर थाना प्रभारी के निर्देश पर तहरीर में नामजद संतोख सिंह भंगू निवासी ग्राम विक्रमपुर के खिलाफ धारा 384 आईपीसी व 67 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) 2000 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Civilians Biggest Casualty of Counter-insurgency Ops

In past 21 years, over 4,900 civilians killed in J&K, over 4,300 in northeast, nearly 3,900 in LWE-affected districts

Rahul.Tripathi@timesgroup.com

New Delhi: Innocent civilians are the biggest casualty of counter-insurgency operations across Jammu and Kashmir, northeast and the Left-Wing Extremism (LWE)-affected districts, even as security forces continue to enjoy special powers under the Armed Forces Special Powers Act.

In the past 21 years, over 4,900 civilians have been killed in Jammu and Kashmir while more than 4,300 died in the northeastern states of Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Arunachal Pradesh, as per official figures. The number of civilian casualties remained as high as 3,900 in the LWE-

affected districts of Chhattisgarh, Maharashtra, Jharkhand, Bihar and Andhra Pradesh.

The fatalities were result of either "fake encounters, firing between the security forces and militants, mistaken identity or targeted killings by terrorists".

"At times, security forces are under tremendous pressure to come up with results. It may lead to a situation where these operations can go completely awry," said a senior official at North Block while recalling the Pathribal encounter of 2000 when security forces under pressure killed 5 innocent men in Jammu and Kashmir.

Former special secretary (internal security) AP Maheshwari told ET: "Facts and circumstances are best

AN IRONIC SITUATION



NHRC last month awarded Assam Rifles for their 'sensitivity and understanding of human rights'

known to the operational troops on the ground whose role is now being investigated, as learnt. The bottom line is that security forces must restore the faith of people in them by finding the truth, follow the rule of law and be empathetic."

Section 19 of the Protection of Hu-

man Rights Act, 1993, deals with specific provisions related to complaints of violations of human rights by the armed forces. Interestingly, the National Human Rights Commission last month awarded Assam Rifles for their "sensitivity and understanding of human rights" while debating whether "human rights is a stumbling block in fighting terrorism and Naxalism".

Former CRPF DG Prakash Mishra said: "There have been instances of Naxals and terrorists using civilians as human shields and mingling with locals. There are chances of collateral damage in such a situation when forces are carrying out operations. However, in all cases, forces should make every effort to eradicate any civilian killing."